12.41 hrs.

RE SUPPLY OF INFERIOR QUALITY RICE IN DELHI RATION SHOPS

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar) Sir, I want to make a submission. Yesterday I put a question to the hon Minister of Food regarding the supply of bad quality of rice in Delhi In his reply, the hon Minister said that he had received the complaints But nothing has been done so far Yesterday I checked in most of the ration shops and I have found that the same quality of rice is being supplied throughout Delhi It is a very serious matter At least five million people are adversely affected This quality of rice has been supplied for the last five or six months and not for the last two months Therefore I would request through you the hon Minister of Parliamentary Affairs to convey our feelings to the concerned Minister Otherwise there may be a serious trouble The people will fall sick There was already a meeting in this connection held by the Delhi Women They wanted to gherao the Minister concerned This kind of thing should not be allowed in the Capital I would therefore request through you Sir the Minister of Parliamentary Affairs to convey our feeling to the Minister concerned

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) I will convey this to the Minister concerned

---

12.43 hrs

MATTERS UNDER RULE 377

(i) REPORTED CHEATING OF POLICY HOLDERS BY L I C

श्री सुभाष आहूजा (बैतूल) · माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम 377 के अन्तर्गत 13 मार्च के नवभारत टाइम्स के एक समाचार की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं तथा सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूं। 13 मार्च के नवभारत टाइम्स में "नागरिको के साथ जीवन बीमा निगम की धोखाधड़ी" नामक समाचार छपा है। मैं माननीय मंत्री जी को यह जानकारी देना चाहूंगा कि जीवन बीमा निगम द्वारा 1974 के बाद अपनी नीतियो को बदल कर और छद्म नीति अपना कर हजारो लाखो बीमा कराने वाले लोगो के साथ अन्याय किया गया है और उनके साथ धोखाधडी की गई है 1974 तक जीवन बीमा निगम की यह योजना थी कि यदि कोई बीमा कराने वाला व्यक्ति लगातार 3 वर्ष तक अपना प्रीमियम जमा करने के बाद पैसा जमा नही कराता है, तो जितनी भी राशि उसने जमा की है, उस मे से उसे एक भी पैसा वापस नही मिलेगा। सन् 1974 में अचानक जीवन बीमा निगम ने अपनी नीति मे परिवर्तन करके इस अवधि को 3 वर्ष से बढ़ा कर 5 वर्ष कर दिया और इस शर्त के बदलने की किसी को भी सूचना नही दी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि इस नीति के बनने के बाद जिस किसी ने साढे चार वर्ष या पौने पांच वर्ष तक पैसा जमा किया हो और उसके बाद वह पैसा जमा करने मे असमर्थ रहा हो, तो उसको उसके द्वारा जमा किया गया प्रीमियम वापस नही लौटाया जाएगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि किसी व्यक्ति ने 15 साल का 20 हजार रुपये का बीमा कराया हो और उस ने तीन चार वर्ष तक 7,500 या 8,000 रुपये जमा किये हो, तो नीति मे परिवर्तन होने के कारण जिसका उसको पता नही है, उसका वह पैसा डूब जाएगा। इस तरह से जीवन बीमा निगम को लाखो रुपये का फायदा केवल दिल्ली मे ही हुआ है और पूरे देश मे तो करोडो रुपयो का फायदा हो सकता है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हू कि क्या सरकार उन बीमा ग्राहको को उनकी रकम वापस करेगी जिन्होने 1974 से पहले बीमा कराया हो और लगातार तीन वर्ष तक प्रीमियम भरते रहे है। मैं यह भी जानना चाहता हू कि क्या सरकार उन जीवन बीमा निगम के उच्च अधिकारियो के खिलाफ